

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

की  
नागौर

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,  
विष्णुदशरथ श्री रामशैपाल झाहंगी

शज. शकट तहसीलदार नावां

सां खालास







बनाम :

किस्त मुकदमा 136CR प्रापज

मु. नम्बर

104

सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
<p>26/12/18</p>	<p>वकील श्री राजेशगुर्जर ने यह प्रारूप पेश किया है जो दर्ज रजिस्ट्र किया जाता है अपाधी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24/1/19 को पेश हो।</p> <p>22/1/19 वकील प्रार्थी उपर अपाधी का नोटिस प्राप्त नहीं इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 12/2/19 को पेश हो।</p> <p>12/2/19 पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में कन्वलेस कर कार्य स्थगन का दिवस किया / पत्रावली इलाका हाकर दिनांक 18/2/19 को पेश हो।</p> <p>18/2/19 पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में कन्वलेस कर कार्य स्थगन का दिवस किया / पत्रावली इलाका हाकर दिनांक 5/3/19 को पेश हो।</p> <p>5/3/19 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 26/3/19 को पेश हो।</p> <p>26/3/19 वकील प्रार्थी उपर अपाधी शर्त के सम्मन पेश किये गयीं जारी हो। मि. 8/4/19 को पेश हो।</p> <p>8/4/19 वकील प्रार्थी उपर एगजिकुटिव अफिसर की</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

25/5/19

पत्रावली पेश ब्यार एसोसियशन में  
कन्वेंशन ..... कर कार्य स्वगन  
कर निवेदन किया / पत्र ..... से हुआ  
हाथर दिनांक 25/5/19 का पेश हो

25/5/19

पत्रावली पेश ब्यार एसोसियशन में  
कन्वेंशन ..... कर कार्य स्वगन  
कर निवेदन किया / पत्र ..... से हुआ  
हाथर दिनांक 18/6/19 का पेश हो

18/6/19 वकील प्रार्थी उप। तलबी पेश करने  
हेतु हिदायत की गई। मि। डि. 9/7/19 को पेश हो।  
Om -


9.7.19 वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी का नौरिस  
पेश करने हेतु हिदायत की गई। मि। डि. 17/7/19  
को पेश हो।  
Om -

17/7/19 वकील प्रार्थी उप। तलबी पेश की  
जो जारी होकर पत्रावली दिनांक 29/7/19 को  
पेश हो।  
Om -

29.7.19 वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी राजहित  
नहीं होने से जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं  
जवाब बन्द किया जाता है। बहस सुनी गई  
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पर्यन-पत्र के संक्षेप में तथा  
इस प्रकार से है कि ग्राम चाणवास के ख. नं.  
102, 106, 121, 141 कुल रकबा 8.97 हेक्टर भूमि  
में प्रार्थी सह उत्तरदाता है। प्रार्थी का नाम बौलचाल  
की भाषा में विष्णुदत्त पुत्र रामगोपाल दर्ज कर्तव्य  
जबकि प्रार्थी का सही नाम विष्णुदयाल है। सभी  
दस्तावेजों में विष्णुदयाल ही अंकित है। उक्त भूमि  
के राजस्व रिमांड में नाम दुरुस्त करने का  
निवेदन किया है।

पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों  
का अवलोकन किया गया। बहस पर भनन किया  
Om -

उपखण्ड अधिकारी  
ताबां (नागौर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम चाणवास के ख.नं. 102, 106, 121, 141 कुल शब्दा 8.97 है में प्रार्थी 112 हिस्से का खतियार काश्तकार है जिसे प्रार्थी का नाम विष्णुदत्त पुत्र रामश्रीपाल बाह्य दर्ज रिमार्ड है। प्रार्थी ने अपना आधार कार्ड मतदाता पहचान-पत्र, शसन कार्ड, आदि दस्तावेजों की छाया प्रति पेश की है। निम्न प्रार्थी का नाम विष्णुदयाल दर्ज रिमार्ड है राजस्व रिमार्ड में विष्णुदयाल के स्थान पर विष्णुदत्त मात्र लिपिकियु &gt; दृष्टिचर होना प्रतीत होता है जो दुरुस्त किए जाने योग्य है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 CRA स्वीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेश दिया कि ग्राम चाणवास के ख.नं. 102, 106, 121, 141 कुल शब्दा 8.97 है भूमि दर्ज विष्णुदत्त पुत्र रामश्रीपाल के स्थान पर विष्णुदयाल पुत्र रामश्रीपाल दर्ज किया जावे। तहरीर जारी हो।</p> <p>यह आदेश आज दिनांक 29.7.19 को जूलै-यापालम में घुनापा गया।</p> <p style="text-align: center;">   उपखण्ड अधिकारी  नावां (नागौर) </p>	